



# राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर  
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)  
Email: [rsjsajp@gmail.com](mailto:rsjsajp@gmail.com), [rj-sjsa@nic.in](mailto:rj-sjsa@nic.in), website: [www.rjsa.gov.in](http://www.rjsa.gov.in)

क्रमांक :- 690

दिनांक :- 20.12.19

## कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन हुआ और प्रमुख कार्य आमजन विशेषकर गरीब सहायतामंद एवं कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को न्याय उपलब्ध कराने में सहायता करना है। एक प्रशासनिक विभाग होने के नाते एवं आमजन को शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्राप्त करने में सहायता हो सके इसे दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का जयपुर मुख्यालय एवं जोधपुर में पूर्व में दिनांक 23 व 24 दिसम्बर, 2019 का अवकाश प्रदर्शित किया गया था परन्तु दिनांक 23 व 24 दिसम्बर, 2019 को उक्त दोनों कार्यालयों में कार्यदिवस घोषित किया जाता है।

इसके साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण जिनके अनुभाग में कार्य लम्बित है, वे 25 दिसम्बर से 31 दिसम्बर के मध्य उक्त कार्य को निपटाने के पश्चात ही शीतकालीन अवकाश का उपभोग उस परिस्थिति में करेंगे यदि उनकी ड्यूटी किसी आदेश के अधीन कार्यालय में कार्य हेतु अथवा अन्य किसी प्रशिक्षण या विधिक शिविर कार्य में नहीं लगाई गई हो।

उक्त की पालना अविलम्ब सुनिश्चित की जावे।

आज्ञा से

६०

(अशोक कुमार जैन)

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

जयपुर

क्रमांक 33 639 - 33 683

दिनांक 20/12/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सदस्य सचिव महोदय, रालसा, जयपुर।
2. निदेशक/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव प्रथम, रालसा जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर।
4. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर एवं जोधपुर।
5. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
6. समस्त कर्मचारीगण/अधिकारीगण, कार्यालय हाजा।
7. संबंधित/आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक



**कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता।**  
**न्यायालय परिसर, मेड़ता।**

क्रमांक :- १०

दिनांक : 21 दिसम्बर, 2019

**कार्यालय आदेश**

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 33594-33628 दिनांक 20.12.2019 द्वारा आदेश जारी कर निर्देशित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो विधिक सेवा प्राप्त करने का हकदार है, वह विधिक सेवाओं से वंचित ना रहे इसके लिए दिनांक 26, 27, 30 व 31 दिसम्बर 2019 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय खुला रखा जावे। उक्त निर्देशों की अनुपालना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता का कार्यालय उक्त दिवसों को खुला रखे जाने हेतु निम्नानुसार कर्मिकों की ड्यूटी लगायी जाती है :-

क्र.सं.	कार्यालय खुला रखने की दिनांक	ड्यूटी पर उपस्थित होने वाले कर्मचारीगण का नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर
1.	26.12.2019	श्री महेश व्यास श्री मोहम्मद आरिफ श्री इन्द्रराम मेघवाल	कनिष्ठ लिपिक कनिष्ठ लिपिक गृहरक्षक (होम गार्ड)	8104392319 7737737637 9672196619
2.	27.12.2019	श्री महेश व्यास श्री मोहम्मद आरिफ श्री रामनिवास भाटी	कनिष्ठ लिपिक कनिष्ठ लिपिक गृहरक्षक (होम गार्ड)	8104392319 7737737637 9667891544
3.	30.12.2019	श्री किशन शर्मा श्री मनीष सिखवाल श्री बलदेव	कनिष्ठ लिपिक कनिष्ठ लिपिक गृहरक्षक (होम गार्ड)	9309220409 9166410180 9571221095
4.	31.12.2019	श्री किशन शर्मा श्री मनीष सिखवाल श्री अशोक सैन	कनिष्ठ लिपिक कनिष्ठ लिपिक गृहरक्षक (होम गार्ड)	9309220409 9166410180 9772400162

उपरोक्त कर्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त दिवसों में कार्यालय को आवश्यक रूप से खुला रखकर उपस्थित रहें तथा इस अवधि में यदि कोई आमजन किसी पीड़ा को लेकर आता है तो उस परिवाद पर तत्काल कार्यवाही करने हेतु मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को जानकारी देकर निर्देश प्राप्त कर आवश्यक कार्य करें तथा कार्यालय के अन्य कार्य भी निर्देशानुसार सम्पादित करें।

*sdL*

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
मेड़ता

दिनांक : 21 दिसम्बर, 2019

क्रमांक :- 8219-8232

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर।
2. श्री महेन्द्र प्रताप बेनीवाल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर/श्री महेश मीणा अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर/सुश्री नेहा गोयल सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर/सुश्री ऋचा सिंह सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मेड़ता को प्रेषित कर लेख है कि उक्त दिवसों को यदि आमजन कोई पीड़ा लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता है तो इस सम्बन्ध जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता को सूचित करावें तथा मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को मोबाईल/वाट्सएप्प पर भी सूचित करावें। (मो.नं.9414464465)
3. सर्वश्री महेश व्यास/मोहम्मद आरिफ/किशन शर्मा/मनीष सिखवाल/श्री इन्द्रराम मेघवाल/रामनिवास भाटी/बलदेव/अशोक सैन को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश की अक्षरशः पालना करें।
4. रक्षित पत्रावली।

*sdL*

सचिव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
मेड़ता

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक

## कार्यालय आदेश

क्रमांक : .....18/23.....

दिनांक २१/१२/२०१९

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक 33594-33628 दिनांक 20.12.19 द्वारा निर्देशित किया गया है कि दिनांक 25.12.19 से दिनांक 01.01.2020 तक सिविल न्यायालयों में शीतकालीन अवकाश है, परन्तु इस अवधि के दौरान अतिआवश्यक कार्य करने के लिए जिलों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर तक एक न्यायालय एवं जिला न्यायाधीश महोदय का काम करने के लिए एक सक्षम अधिकारी को शक्ति प्रदान करते हुए न्यायालय कार्य करने के आदेश जारी किए गए हैं तथा उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति, जो विधिक सेवा प्राप्त करने का हकदार है, वह विधिक सेवाओं से वंचित न रहे इसके लिए दिनांक 26,27,30 व 31 दिसम्बर 2019 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में समुचित संख्या में स्टाफ ड्यूटी पर लगाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं जिससे कार्यालय समय के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खुला रहे ताकि आमजन किसी भी पीड़ा की स्थिति में कार्यालय समय के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर सकें।

उक्त निर्देशों की पालना में निम्नानुसार स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाती है:-

क्र. स.	दिनांक	नाम कर्मचारीगण
01.	26.12.19 व 27.12.19	श्री नबील खान लि. ग्रेड-2, मो.न. 7737310806 श्री सरफराज नवाज लि. ग्रेड-2, मो.न. 7976109236 श्री रामचरण शर्मा होमगार्ड स्वयंसेवक, मो.न. 9252720385 श्री कालूराम होमगार्ड स्वयंसेवक, मो.न. 9269512612
02.	30.12.19	श्री पवन शर्मा लि. ग्रेड-2, मो.न. 9252142650 श्री बृजमोहन शर्मा लि. ग्रेड-2, मो.न. 9079916273 श्री रामचरण शर्मा होमगार्ड स्वयंसेवक, मो.न. 9252720385 श्री कालूराम होमगार्ड स्वयंसेवक, मो.न. 9269512612
03.	31.12.19	श्री रामेश्वर प्रसाद पारीक, स.प्र.अ., मो.न. 9829614061 श्री पवन शर्मा लि. ग्रेड-2, मो.न. 9252142650 श्री रामचरण शर्मा होमगार्ड स्वयंसेवक, मो.न. 9252720385 श्री कालूराम होमगार्ड स्वयंसेवक, मो.न. 9269512612

यदि कोई आमजन किसी पीड़ा को लेकर आता है तो संबंधित ड्यूटी स्टाफ उस परिवाद का तत्काल कार्यवाही करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जानकारी देगा और मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। यदि तत्काल कार्यवाही नहीं की

जाती है तो राज्य प्राधिकरण की जानकारी हेतु जरिये ई-मेल सूचित करने का दायित्व ड्यूटी स्टाफ का होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी।

-sdr-

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
टोंक (राज.)

दिनांक २१/१२/२०१९

क्रमांक : .....18/24-36

प्रतिलिपी सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. आदेश पत्रावली।
02. श्रीमान् सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को उनके पत्रांक 33594-33628 दिनांक 20.12.19 की पालना में सूचनार्थ।
03. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक को (अवकाश के दौरान संबंधित ड्यूटी मजिस्ट्रेट को सूचनार्थ) सादर प्रेषित है।
04. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक टोंक को (अवकाश के दौरान समस्त थानाधिकारियों को सूचनार्थ) प्रेषित है।
05. अधीक्षक जिला कारागृह टोंक
06. कारापाल, उपकारागृह मालपुरा
04. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक को सूचनार्थ
05. संबंधित कर्मचारीगण कार्यालय हाजा को पालनार्थ।

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
टोंक (राज.)



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झालावाड़ (राज.)


क्रमांक : 13598

दिनांक 21.12.2019

## कार्यालय आदेश

एतद् द्वारा माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 33594-33622 दिनांक 20.12.2019 के निर्देशानुसार शीतकालीन अवकाशों में कोई भी व्यक्ति जो विधिक सेवा प्राप्त करने का हकदार है, वह विधिक सेवाओं से वंचित ना रहे, इस दृष्टि से निम्नानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ का कार्यालय खुला रहेगा एवं निम्न कर्मचारीगण की ड्युटी कार्य सम्पादन हेतु लगाई जाती है।

क्र.सं	दिनांक	नाम कर्मचारी
01	26.12.2019	श्री शंकरलाल दांगी, वरिष्ठ सहायक
		श्री राशिद खान, कनिष्ठ सहायक
02	27.12.2019	श्री अंकित शर्मा, कनिष्ठ सहायक
		श्री विनोद गौड़, कनिष्ठ सहायक
03	30.12.2019	श्री राहुल जैन, कनिष्ठ सहायक
		श्री दीपक प्रजापति, कनिष्ठ सहायक
04	31.12.2019	श्री राहुल जैन, कनिष्ठ सहायक
		श्री आफताब खान, कनिष्ठ सहायक

  
सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)  
झालावाड़

क्रमांक 13599-13605

दिनांक 21.12.2019

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित हैं।
- माननीय सदस्य सचिव महोदय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर
  - अध्यक्ष, ताल्लुका विधिक सेवा समिति चौमहला/अकलेरा/खानपुर/पिड़ावा
  - कर्मचारी श्री.....
  - सम्बन्धित पत्रावली

  
सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)  
झालावाड़

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा

क्रमांक :- 2993-2999

दिनांक :- 21.12.2019

कार्यालय आदेश - 99


राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक 33594-33628 दिनांक 20.12.2019 के निर्देशानुसार शीतकालीन अवकाश के दौरान दिनांक 26, 27, 30 व 31 दिसम्बर 2019 को विधिक सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किये गये है। प्राप्त निर्देशों की पालना में उक्त दिनाकों को कार्यालय में कार्य करने हेतु निम्नलिखित कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है :-

क्र. स.	दिनांक	ड्यूटी कार्मिक का नाम
1	26.12.19	श्री जगमाल सिंह, कनिष्ठ लिपिक श्री किर्तिश राठोड़, (संविदा कार्मिक)
2	27.12.19	श्री जगमाल सिंह, कनिष्ठ लिपिक श्री किर्तिश राठोड़, (संविदा कार्मिक)
3	30.12.19	श्री हितेश चौबीसा, कनिष्ठ लिपिक श्री मितेश भट्ट, (संविदा कार्मिक)
4	31.12.19	श्री हितेश चौबीसा, कनिष्ठ लिपिक श्री मितेश भट्ट, (संविदा कार्मिक)

उक्त कर्मचारीगण उक्त कार्यदिवसों पर पूरे कार्यालय समय तक यदि कोई आमजन किसी पीड़ा को लेकर आता है तो उक्त ड्यूटी स्टाफ उस परिवाद पर तत्काल कार्यवाही करते हुए सचिव को जानकारी देगा और मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। यदि तत्काल कार्यवाही नहीं की जाती है तो राज्य प्राधिकरण की जानकारी हेतु जरिए ई-मेल सूचित करने का दायित्व ड्यूटी स्टाफ का रहेगा। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी।

उपरोक्त कर्मचारीगण के साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत सभी होमगार्ड भी उक्त दिनाकों को कार्यालय में अपनी उपस्थिति देंगे।

सभी कर्मचारीगण सूचित हों।

  
सचिव 21-12-19


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
बांसवाड़ा

दिनांक:- 21.12.2019

क्रमांक:- 2993-2999

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर।
2. श्री जगमाल सिंह, कनिष्ठ लिपिक
3. श्री हितेश चौबीसा, कनिष्ठ लिपिक
4. श्री किर्तिश राठोड़ (संविदा कार्मिक)
5. श्री मितेश भट्ट (संविदा कार्मिक)
6. समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
7. कार्यालय प्रति।

  
सचिव 21-12-19

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
बांसवाड़ा



कार्यालय :अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही


क्रमांक : 79

दिनांक : 21.12.19

कार्यालय आदेश

श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक 33594-33628 दिनांक 20.12.2019 के अनुसरण में दिनांक 25.12.2019 से 31.12.2019 के शीतकालीन अवकाश की अवधि के दौरान दिनांक 26,27,30 व 31.12.2019 को कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही में निम्नानुसार कर्मचारीगण की ड्यूटी विधिक सेवाओं के हकदार व्यक्तियों को समय पर समूचित विधिक सेवाएँ उपलब्ध करवाने तथा अत्यावश्यक कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से लगाई जाती है :-

1. श्री योगेश माली, क.सहायक
2. श्री संदीप, मेन विद मशीन
3. श्री प्रशान्त रावल
4. श्री मदन मीणा, होमगार्ड
5. श्री ललित कुमार, होमगार्ड
6. श्री हरिश कुमार, होमगार्ड
7. श्री जितेन्द्र कुमार, होमगार्ड


  
अध्यक्ष  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
सिरोही

क्रमांक: 4439-47

दिनांक : 21.12.19

प्रतिलिपि सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही
3. सभी संबंधित कर्मचारीगण .....
4. कार्यालय प्रति/आदेश पत्रावली

  
अध्यक्ष  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
सिरोही

**कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर**  
(वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र, जिला एवं सेशन न्यायालय), जोधपुर महानगर

क्रमांक : 113

दिनांक : 21-12-2019


**:: कार्यालय आदेश ::**

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक 33594-33628 दिनांक 20-12-2019 के द्वारा दिनांक 25 दिसम्बर, 2019 से 01 जनवरी, 2020 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में कोई भी व्यक्ति, जो विधिक सेवा प्राप्त करने का हकदार है, वह विधिक सेवाओं से वंचित ना रहे, इसके लिए दिनांक 26, 27, 30 व 31 दिसम्बर, 2019 को प्राधिकरण का कार्यालय खुला रखने तथा कार्यालय में समुचित संख्या में स्टाफ ड्यूटी पर रखने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, ताकि आमजन किसी भी पीड़ा की स्थिति में कार्यालय समय के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर सके।

अतः उक्त निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है :-

क्र.स.	दिनांक	कर्मचारी का नाम
1	26-12-2019	(1) श्री सुशील कुमार वर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी (2) श्री अनुराग सागर वर्मा, कनिष्ठ सहायक (3) श्री दिनेश कुमार आचार्य, कनिष्ठ सहायक (4) श्री अजय प्रजापत, कनिष्ठ सहायक (5) श्री नरेन्द्र पटेल, कनिष्ठ सहायक
2	27-12-2019	(1) श्री सुशील कुमार वर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी (2) श्री अनुराग सागर वर्मा, कनिष्ठ सहायक (3) श्री दिनेश कुमार आचार्य, कनिष्ठ सहायक (4) श्री अजय प्रजापत, कनिष्ठ सहायक (5) श्री नरेन्द्र पटेल, कनिष्ठ सहायक
3	30-12-2019	(1) श्री यादवेन्द्र पाल मलिक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी (2) श्री नरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ सहायक (3) श्री भरत वैष्णव, कनिष्ठ सहायक (4) श्री भागीरथ चौधरी, कनिष्ठ सहायक (5) श्री जयेश सोनी, कनिष्ठ सहायक
4	31-12-2019	(1) श्री यादवेन्द्र पाल मलिक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी (2) श्री नरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ सहायक (3) श्री भरत वैष्णव, कनिष्ठ सहायक (4) श्री भागीरथ चौधरी, कनिष्ठ सहायक (5) श्री जयेश सोनी, कनिष्ठ सहायक (6) सुश्री बिन्दु चेतवाल, कनिष्ठ सहायक

अतः उक्त समस्त नियुक्त कर्मचारीगणों को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि वे अपने नाम के पूर्व कॉलम में अंकित दिनांक को प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए रालसा के उक्त पत्र में दिये गये समस्त दिशा-निर्देशों की आवश्यक रूप से पालना सुनिश्चित करें।


  
सचिव,  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
जोधपुर महानगर

क्रमांक : 2810-2821

दिनांक : 21-12-2019

1. प्रतिलिपि श्रीमान सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

2. सम्बन्धित कर्मचारी सर्वश्री/सुश्री / सुशील कुमार वर्मा / यादवेन्द्र पाल मलिक / अनुराग सागर वर्मा / नरेन्द्र कुमार / दिनेश कुमार आचार्य / अजय प्रजापत / नरेन्द्र पटेल / भरत वैष्णव / भागीरथ चौधरी / जयेश सोनी / बिन्दु चेतवाल

  
सचिव,  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
जोधपुर महानगर





# जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

## कार्यालय-आदेश

दिनांक-23.12.2019

क्रमांक/स्था/12737

राजस्थान उच्च न्यायालय एवं रालसा, जयपुर द्वारा पूर्व में जारी कैलेण्डर के अनुसार दिनांक 25 दिसम्बर, 2019 से 01 जनवरी, 2020 तक अधीनस्थ कार्यालयों में शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया था।

किन्तु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 33594-33628 दिनांक 20.12.2019 की पालना में निम्न दिवसों पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए अथवा कोई पीडा के निवारण के लिए आने वाले आमजन की सहायता के लिए निम्न कर्मचारीगण की ड्यूटी उनके सम्मुख अंकित तिथि को लगाई जाती हैं। कर्मचारीगण निर्धारित तिथि को सदैव की भांति कार्यालय खालेंगे एवं सहायता के लिए आने वाले आमजन/पीडित के परिवाद के संबंध में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर को सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राज्य प्राधिकरण के निर्देशानुसार यह भी निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि यदि तत्काल कार्यवाही नहीं की जाती है तो राज्य प्राधिकरण की जानकारी हेतु जरिए ई-मेल सूचित करने का दायित्व ड्यूटी स्टाफ का होगा।

क.स.	दिनांक	कर्मचारी का नाम	पद
1	26.12.2019 एवं 27.12.2019	श्री हेमन्त कुमार गीणा	क. सहायक
		श्री दिनेश कुमार	सहायक कर्मचारी
2	30.12.2019 एवं 31.12.2019	श्री मनीष कुमार	क. सहायक
		मो. नदीम	अस्थाई सहायक कर्मचारी

उक्त स्थाई कर्मचारीगण को नियमानुसार प्रत्येक कार्यदिवस पर ड्यूटी करने वाले कर्मचारीगण को एक दिवस का क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार देय होगा।

सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
सीकर

दिनांक-23.12.2019

क्रमांक-12738-43

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. श्रीमान् मुंसरिम, जिला एवं सेशन न्यायालय, सीकर
3. संबंधित कर्मचारी ..... जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
सीकर



## जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर

(न्यायालय परिसर के सामने, नया ए.जी.आर. नवन, सदर धाना रोड़)  
संपर्क :- 0151-2970623, ई.मेल-disa@bikaner@gmail.com

क्रमांक-256

दिनांक-21/12/2019


### कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक 33594-33628 दिनांक 20.12.2019 की पालना में शीतकालीन अवकाश के दौरान इस कार्यालय के सभी कर्मचारियों की ड्यूटी दिनांक 26,27 एवं 30,31 दिसम्बर 2019 को रोटेशन से निम्नानुसार लगायी जाती है:-

क्र.स	दिनांक	कर्मचारियों का नाम जिनकी ड्यूटी लगायी गयी है।
1	26.12.2019	श्री गौरव पवार (क.सहा.) श्रीमति नसीम बानो (क.सहा.)
2	27.12.2019	श्रीमति मेघा बालेचा (क.सहा.) श्री अहमद अली (स्टेनो)
3	30.12.2019	सुश्री ज्योति शेखावत (क.सहा.) श्री अक्षय जोशी (क.सहा.)
4	31.12.2019	श्री राकेश जोशी (क.सहा.) श्री आदित्य कौशिक (क.सहा.)

निर्देश:-

1. उक्त सभी दिवसों को कार्यालय प्रातः 10 बजे से शाम 5.00 बजे तक खुला रहेगा तथा सचिव इस अवधि के दौरान मोबाइल एवं वाट्सअप पर कर्मचारियों से सम्पर्क में रहेंगे।
2. उक्त अवधि में सभी होमगार्ड्स एवं ड्राइवर (मय संविदा वाहन) कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
3. उक्त अवधि में यदि कोई आमजन किसी पीड़ा को लेकर आता है तो संबंधित ड्यूटी स्टॉफ उस परिवाद पर तत्काल कार्यवाही करते हुए संबंधित सचिव को जानकारी देगा और पीड़ित को मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
4. प्रत्येक दिवस कार्यालय समय समाप्त होने के पश्चात् संबंधित ड्यूटी स्टॉफ पूरे दिन के कार्य की रिपोर्ट सचिव को मोबाइल पर सूचित करेगा।

  
सचिव 21/12/19


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
बीकानेर

क्रमांक- 5540 - 5543

दिनांक- 21/12/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. माननीय सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायालय, बीकानेर
3. नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर।
4. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, बीकानेर।
5. संबंधित/आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
सचिव 21/12/19

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
बीकानेर




जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, (जिला एवं सेशन न्यायालय) झुंझुनूं (राज0)  
Phone no- 01592-233021 Email -dlsa22jhunjhunuu@gmail.com  
क्रमांक :- 6518 दिनांक:- 21.12.2019

**-:कार्यालय आदेश:-**

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक 33594-33628 दिनांक 20.12.2019 की पालना में दिनांक 25 दिसम्बर, 2019 से दिनांक 01 जनवरी, 2020 तक शीतकालीन आवकाश के दौरान दिनांक 26, 27, 30 व 31 दिसम्बर, 2019 को कार्यालय समय के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खुला रखने व इस दौरान कोई आमजन के किसी पीड़ा को लेकर आने पर तत्काल कार्यवाही करने हेतु कार्य व्यवस्थार्थ दिनांक 26, 27, 30 व 31 दिसम्बर, 2019 को निम्न कर्मचारीगण की ड्यूटी निम्नानुसार लगाई जाती है:-

क्र.सं.	ड्यूटी दिनांक	नाम कर्मचारीगण
01	26.12.2019 व 27.12.2019	1. श्री राजेश कुमार, क. लिपिक 2. श्रीमती शालू सरोज, क. लिपिक
02	30.12.2019 व 31.12.2019	1. श्री सुरेश कुमार, क. लिपिक 3. श्री रजनीश कुमार टेलर, क. लिपिक

माननीय रालसा के उक्त पत्र में प्राप्त निर्देशों के अनुसार उपरोक्तानुसार कर्मचारीगण की ड्यूटी लगाई जाकर निर्देशित किया जाता है कि माननीय रालसा के पत्र क्रमांक 33594-33628 दिनांक 20.12.2019 में दिये गये निर्देशों की पालना जावे।


  
सचिव,  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
झुंझुनूं

दिनांक :- 21.12.2019

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :- 6519-6527

1. श्रीमान सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, झुंझुनूं।
2. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झुंझुनूं।
3. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं।
4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं।
5. कर्मचारीगण श्री .....
6. रक्षित पत्रावली।

भवदीय  
  
सचिव,  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
झुंझुनूं



# कार्यालय :: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर

क्रमांक / जिविसेप्रा / 2019 / 99

दिनांक : 21.12.2019

## कार्यालय आदेश

दिनांक 25 दिसम्बर, 2019 से दिनांक 01 जनवरी, 2020 तक सिविल न्यायालयों में शीतकालीन अवकाश है, परन्तु इस अवधि के दौरान प्रत्येक जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर तक एक न्यायालय एवं जिला न्यायाधीश का काम करने के लिए एक सक्षम अधिकारी को शक्ति प्रदान करते हुए न्यायालय कार्य करने के आदेश जारी किए गए हैं।

उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति, जो विधिक सेवा प्राप्त करने का हकदार है, वह विधिक सेवाओं से वंचित ना रहे इस हेतु माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक 33594-33628 दिनांक 20.12.2019 के माध्यम से दिनांक 26, 27, 30 एवं 31 दिसम्बर, 2019 को कार्यालय में पर्याप्त संख्या में कर्मचारीगण की ड्यूटी लगाई जाकर कार्यालय खुला रखने हेतु आदेशित किया गया है।

अतः रालसा, जयपुर के निर्देशानुसार निम्न कर्मचारीगण की ड्यूटी शीतकालीन अवकाश में निम्नानुसार लगाई जाती है:-

क्र.सं.	ड्यूटी की दिनांक	कर्मचारी का नाम	पदनाम
1.	26.12.2019	श्री कन्हैयालाल भगोरा	लिपिक ग्रेड-॥ (प्रो. ट्रे.)
		श्री कपिल गमेती	लिपिक ग्रेड-॥ (प्रो. ट्रे.)
2.	27.12.2019	श्री कन्हैयालाल भगोरा	लिपिक ग्रेड-॥ (प्रो. ट्रे.)
		श्री कपिल गमेती	लिपिक ग्रेड-॥ (प्रो. ट्रे.)
3.	30.12.2019	श्री निलेश मोदी	लिपिक ग्रेड-॥
		श्री जाहिद हुसैन	लिपिक ग्रेड-॥
4.	31.12.2019	श्री अचल दीक्षित	लिपिक ग्रेड-॥ (प्रो. ट्रे.)
		श्री प्रकाशचन्द्र कटारा	लिपिक ग्रेड-॥ (प्रो. ट्रे.)

नोट:-

- समस्त कर्मचारीगण को आदेशित किया जाता है कि कार्यालय समय के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर का कार्यालय खुला रहे ताकि आमजन किसी भी पीड़ा की स्थिति में कार्यालय समय के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर से सम्पर्क कर सकें।
- यदि कोई आमजन किसी पीड़ा को लेकर आता है तो संबंधित ड्यूटी स्टाफ उस परिवाद पर तत्काल कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता को जानकारी देगा और मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। तत्काल कार्यवाही नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य प्राधिकरण की जानकारी हेतु जरिए ई-मेल सूचित करने का दायित्व ड्यूटी स्टाफ का होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जावे।

सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

डूंगरपुर (राज.)

दिनांक:-21.12.2019

क्रमांक / जिविसेप्रा / 2018 / 4023 - 32

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ निम्नलिखित को प्रेषित है:-


- श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
- श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर
- श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधीनस्थ समस्त पुलिस थानों में सूचित करें।
- श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर
- संबंधित कर्मचारी श्री.....
- कार्यालय प्रति

सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

डूंगरपुर (राज.)

इसके साथ ही संबंधित ड्यूटी स्टाफ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई आमजन किसी पीड़ा को लेकर आता है तो उस परिवाद पर तत्काल कार्यवाही करते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला को जानकारी देगा और मार्गदर्शन प्राप्त करेगा।



सचिव,


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
जयपुर जिला, जयपुर

क्रमांक:- 11821-11823

दिनांक:- 21.12.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. समस्त कर्मचारीगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला, जयपुर
3. आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली



सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
जयपुर जिला, जयपुर



## जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला, जयपुर

(जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, जयपुर जिला, जयपुर)

फोन :- 0141-2203090 ईमेल: [dlsa18jaipurdistrict@gmail.com](mailto:dlsa18jaipurdistrict@gmail.com)

क्रमांक :- 354

दिनांक:- 21.12.19

—:कार्यालय आदेश:—

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 33594-33622 दिनांक 20.12.2019 में वर्णित निर्देशों की अनुपालना में शीतकालीन अवकाश के दौरान दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक विधिक सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु समुचित व्यवस्था करने बाबत जयपुर जिला मुख्यालय पर कार्यरत समस्त कर्मचारीगण की निम्नानुसार ड्यूटी लगाई जाती है:-

क्र.सं.	दिनांक	कर्मचारीगण का नाम
01	26.12.2019	1. श्री कुलदीप सिंघल, कनिष्ठ सहायक 2. श्री ताराचन्द्र बंसल, कनिष्ठ सहायक 3. श्री प्रेमप्रकाश कानखेडिया, कम्प्यूटर ऑपरेटर 4. श्री मनोज कुमार निठरवाल, होमगार्ड 5. श्री प्रकाश सैनी, होमगार्ड
02	27.12.2019	1. श्रीमति प्रतिभा खण्डेलवाल, कनिष्ठ सहायक 2. श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़, कनिष्ठ सहायक 3. श्री प्रेमप्रकाश कानखेडिया, कम्प्यूटर ऑपरेटर 4. श्री मनोज कुमार निठरवाल, होमगार्ड 5. श्री प्रकाश सैनी, होमगार्ड
03	30.12.2019	1. श्रीमति अंजना माथुर, (AAO) 2. श्री चांदमल सांभरिया, कनिष्ठ सहायक 3. श्री प्रेमप्रकाश कानखेडिया, कम्प्यूटर ऑपरेटर 4. श्री मनोज कुमार निठरवाल, होमगार्ड 5. श्री प्रकाश सैनी, होमगार्ड
04	31.12.2019	1. श्री सोमेश्वर प्रसाद मीणा, कनिष्ठ सहायक 2. श्री मुकेश प्रजापत, कनिष्ठ सहायक 3. श्री प्रेमप्रकाश कानखेडिया, कम्प्यूटर ऑपरेटर 4. श्री मनोज कुमार निठरवाल, होमगार्ड 5. श्री प्रकाश सैनी, होमगार्ड

उक्त समस्त कर्मचारीगण को आदेशित किया जाता है कि उक्त संदर्भित दिनांक को संबंधित कर्मचारीगण कार्यालय समय के दौरान कार्यालय खुला रखकर आमजन को शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्राप्त करने में सहायता प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।



## कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा

क्रमांक:- जिविसेप्रा/2019/230

दिनांक:- 21-12-2019


### कार्यालय-आदेश

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्र क्रमांक : 33594-33628 दिनांक 20.12.2019 द्वारा शीतकालीन अवकाश के दौरान दिनांक 26, 27, 30 व 31 दिसम्बर 2019 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दौसा का कार्यालय खुला रखने तथा कार्यालय में विधिक सहायता प्राप्त करने आने वाले व्यक्तियों के लिये विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु समुचित संख्या में ड्यूटी लगाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। माननीय रालसा जयपुर के निर्देशों की पालना में दिनांक 26, 27, 30 व 31 दिसम्बर 2019 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दौसा का कार्यालय खुला रखने तथा आने वाले पीडितों/आमजन को विधिक सहायता उपलब्ध करवाने हेतु निम्नलिखित कर्मचारीगण की ड्यूटी लगायी जाती है :-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद	ड्यूटी दिनांक	मोबाईल नम्बर
1	श्री मोहम्मद अनीस खॉन	कनिष्ठ सहायक	26.12.2019	9571045871
2	श्री अमित कुमार शर्मा	कनिष्ठ सहायक	26.12.2019	8003331333
3	श्री गिर्राज शरण शर्मा	कनिष्ठ सहायक	27.12.2019	9829659025
4	श्री लोकेश कुमार महावर	कनिष्ठ सहायक	27.12.2019	7014315827
5	श्री नरेश कुमार बंसल	आशुलिपिक	30.12.2019	9461119685
6	श्री सुनील पाण्डेय	कनिष्ठ सहायक	30.12.2019	8112277043
7	श्री शिवदयाल शर्मा	कनिष्ठ सहायक	31.12.2019	9571686978
8	श्री रामराय मीणा	कनिष्ठ सहायक	31.12.2019	7014815927

उपरोक्त के अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दौसा के कार्यालय हेतु समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र दौसा द्वारा उपलब्ध करवाये गये होमगार्ड श्री शिवसिंह, श्री भौरीलाल एवं श्री कमलसिंह की दिनांक 26, 27, 30 व 31 दिसम्बर 2019 को कार्यालय समय में ड्यूटी लगायी जाती है।

उपरोक्त सभी कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने नाम के सम्मुख तिथि को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दौसा के कार्यालय को प्रातः 10 बजे से सायं 05.00 बजे तक खुला रखेंगे तथा यदि कोई आमजन या पीडित व्यक्ति किसी पीडा को लेकर आता है तो संबंधित ड्यूटी स्टाफ उस परिवाद पर तत्काल कार्यवाही करते हुये अधोहस्ताक्षरकर्ता को जानकारी देगे तथा उचित मार्गदर्शन प्राप्त करेगे। साथ ही यदि उक्त परिवाद पर तत्काल कार्यवाही नहीं की जाती है तो राज्य प्राधिकरण की जानकारी हेतु जरिए ई-मेल सूचित करने का दायित्व संबंधित ड्यूटी स्टाफ का होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी।

  
सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
दौसा

21/12/19

दिनांक : 21-12-2019

क्रमांक: 9227-9237

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा।
2. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, दौसा।
3. श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश महोदय, पोक्सो न्यायालय, दौसा।
4. श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा।
5. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, दौसा।
6. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, दौसा को प्रेषित कर लेख है कि दौसा जिले के समस्त थानाधिकारियों को उपरोक्त तिथियों पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दौसा का कार्यालय खुला रहने तथा उपरोक्त कर्मचारीगण के ड्यूटी पर होने की सूचना से सूचित करावे।
7. अधीक्षक, जिला कारागृह, दौसा/उपाधीक्षक, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास, दौसा/ जेलर, उप-कारागृह, बांदीकुई।
8. संबंधित कर्मचारी श्री .....
9. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/जिला एवं सेशन न्यायालय दौसा।
10. आदेश/संबंधित पत्रावली।



सचिव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
दौसा

21/12/19



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायालय) भीलवाड़ा

फोन नं. 01482-230199, ई-मेल - dlsa7bhilwara@gmail.com


क्रमांक - 150/स्था/2019/

दिनांक :- 23 DEC 2019

## :: आदेश ::

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 33594-33628 दिनांक 20.12.2019 के निर्देशानुसार दिनांक 25 दिसम्बर 2019 से 01 जनवरी 2020 तक शीतकालीन अवकाश के दौरान विधिक सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु समुचित व्यवस्था किये जाने बाबत दिनांक 26, 27, 30 व 31 दिसम्बर 2019 को कार्य व्यवस्था के तहत निम्नानुसार कार्यालय में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है -

- |                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1. दिनांक 26.12.2019 | - श्री जनार्दन उपाध्याय, कनिष्ठ सहायक |
| 2. दिनांक 27.12.2019 | - श्री विकास गायरी, कनिष्ठ सहायक      |
| 3. दिनांक 30.12.2019 | - श्री मनोज कुमार व्यास, कनिष्ठ सहायक |
| 4. दिनांक 31.12.2019 | - श्री गणेश सोनी, कनिष्ठ सहायक        |

  
सचिव 23/12/19

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
भीलवाड़ा

क्रमांक - 4693-4699

दिनांक - 23 DEC 2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भीलवाड़ा।
3. संबंधित कर्मचारी श्री ..... को भेजकर लेख है कि जिस दिनांक को आपकी ड्यूटी लगाई गई है उस दिनांक को कार्यालय समय प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होकर निर्देशानुसार कार्य संपादित करें।
4. स्थापना शाखा, कार्यालय हाजा।

  
सचिव 23/12/19

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
भीलवाड़ा